प्र.सं. 9/21 किशनलाल के बजाय श्रीमती रमादेवी व अन्य बनाम भूरालाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.08.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कुंवारिया में आराजी नंबर 2191 रकबा 14 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि होकर संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 8 का 1/4 हिस्सा है। मौके पर विधिवत विभाजन नहीं होने से प्रतिवादीगण हिस्से को लेकर विवाद करते हैं तथा जे.सी.बी. मशीन से नीवें खोदने पर उतारू हैं, जिससे उन्हें रोका जाना नितान्त आवश्यक है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर वाद वर्णित आराजी का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 3 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 20—02—2017 को वादी का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध वादी भूरालाल द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण संख्या 16/2017 के रूप में दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 04—04—2018 को स्वीकार की जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड आदेश की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर अपने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14—12—2020 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06—04—2[illegible] को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:40 IST
Reason: SelfAttested

बोहरा उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री एस. के. मेहता उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की प्रथम बार जानकारी दिनांक 15.02.2021 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद्यकों पर निर्णय पारित नहीं करने में विधिक भूल की है। जबकि आदेश 20 नियम 5 के प्रावधान अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को तनकीवार विवेचन पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आब्जरवेशन पर कोई गौर नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का 1/4 हिस्सा दर्ज होने के आधार पर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आप न्यायालय द्वारा दिये गये रिमाण्ड आदेशों की पालना करते हुए साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। न्यायालय हाजा ने [illegible] निर्णय दिनांक 04–04–2018 में स्पष्ट अंकित किया है कि [illegible]

सत्यमेव जयते
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:40 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

भूमि में 1/4 हिस्से का सहखातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा राजस्व रेकार्ड में भूमि कृषि भूमि के रूप में अंकित है। सिर्फ मौखिक साक्ष्यों व अपंजीकृत अधूरे हस्ताक्षरों की इकरारनामा सहमति के आधार पर वादी के स्वत्व को नहीं मानने का कोई आधार नहीं है तथा वादी का कब्जा भी नहीं मानने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि मौरूसी भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक ईंच भूमि पर कब्जा माना जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के उक्त भूमि को अकृषि भूमि मान लिया है तथा वादी का स्वत्व होते हुए भी उसे निषिद्ध कर प्रकरण में वादी के विभाजन के वाद को खारिज कर दिया है। स्पष्टतया अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सहखातेदारी की भूमि पर सहखातेदारों का कब्जा नहीं होने, भूमि को अकृषि मानने का कोई आधार नहीं होने, सहखातेदारी की भूमि पर प्रतिकूल कब्जा मान्य नहीं होने, इकरारनामे के आधार पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होने आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं के प्रतिकूल निर्णय पारित किया है, जो स्पष्टया विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।"

उक्त आधारों पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय से उचित मानते हुए वादी का वाद स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 32/2011 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 14.12.2020 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:40 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**........
व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

किशनलाल के बजाय श्रीमती रमादेवी पत्नी किशनलाल ढोली, नि. कुंवारिया, तह. कुंवारिया, जि. राजसमन्द व अन्य

बनाम

भूरालाल पिता मगनीराम जी ढोली, नि0 जाटो का मोहल्ला, नीलकण्ठ महादेव मंदिर के पास, कुंवारिया, त. कुंवारिया, जि. राजसमन्द व अन्य

अपील नं.......**09/2021**.......व नाराजगी डिगरी अदालत ....**उपखण्ड अधिकारी** .
........**राजसमन्द**........... मुकाम..........मुवर्खे.........**14**........माह......**12**...........**2020**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**20**....माह......**08**.....सन् **2025** रूबरू..........**पक्षकारान**
व हाजरी.......**श्री एस.के. मेहता**......मिनजानिब अपीलान्ट व......**श्री संजय बोहरा**

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 32/2011 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 14—12—2020 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।**

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)....रूपये...... **X**........
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का...................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**20**......माह.......**08**..........**2025**........
को जारी किया गया।

20.8.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा ..			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान ...		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील [illegible] री के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:40 IST
Reason: SelfAttested